

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 28/01/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन E-Governance मद में उपकरणों के क्रय हेतु रु. 4.960 लाख (रु. चार लाख छियानबे हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या-09/20-21 प्र.स्वी., दिनांक-07.01.2021 (Online AA-1435/08.01.2021)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड के अधीन दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना / 27-ई-गवर्नेंस,	03-प्रशासनिक व्यय / 17-मशीन एवं उपकरण, 50S470200796270317	4.960

आवंटित राशि - ₹ चार लाख छियानबे हजार मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध रु. 5.00 लाख (पाँच लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-2341, दिनांक-04.12.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजटीय उपबंध की राशि के 75% के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

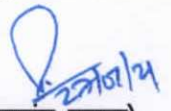



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट-1 के स्तंभ 11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 203

राँची, दिनांक :- 28/01/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/खूँटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 203

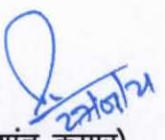
राँची, दिनांक :- 28/01/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक - 203

/ सँची, दिनांक - 28/01/21

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग),
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोग, जन,
उपशीर्ष-27-ई. गवर्नेस,

विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, 17-मशीन एवं उपकरण,
विपत्र कोड-50S470200796270317

बजट उपबंध (वर्ष 2020-21) रु. 5.00 लाख

(लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, सँची (RNCMIIR001)	जि	जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में E-Governance मद में उपकरणों का क्रय।	09/20-21 प्र.स्वी, दिनांक-07.01.2021 (Online AA-1435/08.01.2021)	4.960	0.00	0.000	4.099	4.099	70930	आवंटित राशि का व्यय परिशिष्ट-2 के अनुरूप किया जाएगा।
2	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूँटी (RNCIRRK01)					0.00	0.000	0.861	0.861	70938	
						योग	0.000	4.960	4.960		

आवंटित राशि - ₹ चार लाख छियानबे हजार मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

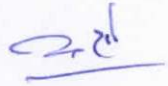
(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 203 दिनांक 28/1/24 का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोर्ड-50S470200796270317

क्र.	उपकरणों के क्रय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	उपकरण / कार्य का नाम	संख्या	राशि	कार्यालय का नाम जिसके लिए उपकरणों का क्रय किया जाना है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, रौंछी (RNCMIR001)	12 A Toner Cartridge	5	26000.00	अभियंता प्रमुख- II जल संसाधन विभाग, रौंछी।	
		Anti Virus (5 user 1 year)	1	4700.00		
		Toner cartridge Ricoh 1230 D	6	22800.00	अधीक्षण अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3 जल संसाधन विभाग रौंछी।	
		12 A Toner Cartridge	16	83200.00		
		Paper A4 Packet	100	35000.00		
		Plastic Folder	200	5000.00		
		Anti Virus (5 user 1 year)	1	4700.00		
		88 A Toner Cartridge	2	8800.00		
		Digital Copier Duplex 2014AD.20 PPM/DUPLEX With DADF	1	68800.00		
		Annual Maintenance & Repair of Equipments ie. Photo Copier, Computer, Printer, U.P.S, Battery.		30000.00		
		Laser Printer	1	11800.00		
		Laptop CORE I5 with WIN 10 Licence+ MS Office 15.6" Screen (8th GEN/4 GB DDR4/1TB)	1	48800.00	कार्यपालक अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन प्रमंडल-6 जल संसाधन विभाग रौंछी।	
		Desktop CORE I5 With WIN 10 Licence/18.5" Screen (8th GEN/4GB DDRA/1TB)	1	48500.00	सहायक अभियंता/ कनीय अभियंता (अभियंता प्रमुख- II के अधीन)	
		Laser Printer	1	11800.00		
योग				409900.00		
2	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूँटी (RNCIRRK01)	Scanner (A4 SIZE/FLAT BED)	1	5500.00	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी।	
		Digital Copier Duplex 2014AD.20 PPM/DUPLEX With DADF	1	68800.00		
		Laser Printer	1	11800.00		
योग				86100.00		
कुल योग				496000.00		
आवंटित राशि - ₹ चार लाख छियानबे हजार मात्र।						


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव